न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
19/24	एफएसएस एक्ट, 2006	03/05/2024

1. वेदप्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधिकारी सवाई माधोपुर । –आवेदक

बनाम

1. गोविन्द प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री रमेश चन्द्र गुप्ता निवासी लाल मन्दिर मैरिज हॉल के सामने वाली गली उदई मोड गंगापुर सिटी (फर्म मालिक) मैसर्स वी0एस0 इण्डस्ट्रीज एफ–199 इण्डस्ट्रीयल एरिया गंगापुर सिटी। –अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांकः– 21.08.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेदप्रकाश पूर्विया , खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 04/07/2023 को 04:15 पी.एम. पर मैसर्स वी0एस0 इण्डस्ट्रीज एफ–199 ,इण्डस्ट्रीयल एरिया गंगापुर सिटी की निर्माण इकाई पर पहुंचा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर उपस्थित विक्रेता से स्वयं का आधार कार्ड, खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र मांगा जिस पर उन्होने फर्म मालिक का आधार कार्ड एवं खाद्य अनुज्ञापत्र एवं जीएसटी प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की है। आवेदक द्वारा मौके पर निर्माण ईकाई का निरीक्षण करने पर पाया कि टेंक नं0 2 में जिसकी भराव क्षमता 08 टन एवं जिसकी 05 टन **Mustard Oil** भरा हुआ उसमें मिलावट का अंदेशा होने पर **Mustard Oil** 2 लीटर वजनी खरीदकर उसकी कीमत 223/– रू0 विक्रेता श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता को नगद अदाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करावे एवं तस्दीक कर स्वंय आंवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं0 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहां जिसे श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता ने भी पढकर ,समझाकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने खरीदशुदा 02 लीटर **Mustard Oil** को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतल दिखाकर उक्त खरदीशुदा **Mustard Oil** को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर डालकर बोतलों को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी

कोड एवं कमांक एच–2918 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये तथा विकेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 एच 2918 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

आवेदक द्वारा कार्यालय में .पहूँचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म सं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर फार्म सं0 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक/एमएसएसए/2023/923 दिनांक 28.08.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विषलेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/2725/एक्ट/2023/2795 दिनांक 14.07.2023 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया खाद्य पदार्थ **Mustard Oil Substandard** होना पाया गया।

उक्त प्रकरण में अभियुक्त ने **Mustard Oil, Substandard** का विकय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 **(ii)** का उल्लघंन किया है। जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 जुर्माने योग्य अपराध है, साथ ही आवेदक ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जावें ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलबध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण स्वयं उपस्थित । अभियुक्तगण ने अपना पक्ष रखते हुए जबाव पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया तथा उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभियुक्तगण ने अपना जवाब पेश कर दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के मिलावट संबंधित खाद्य पदार्थ का निर्माण व विकय नहीं किया जाता है। आवेदक द्वारा प्रार्थी की फर्म पर से **Mustard Oil** का नमूना वास्ते जांच हेतु लिया गया था। उक्त नमूना जयपुर प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट के अनुसार सब–स्टेण्डर्ड होना पाया गया है। जबकि उक्त जांच रिपोर्ट प्रयोगशाला द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई है। उक्त जांच रिपोर्ट से ही स्पष्ट है कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है। केवल आंखों के द्वारा काला/ब्राउन रंग दिखने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ सब स्टेण्डर्ड प्रकृति का माना गया है। जो न्यायोचित नहीं है। अभियुक्त द्वारा किसी भी प्रकार के तेल का निर्माण नहीं किया जाता है। अभियुक्त बडे दुकानदारों से खाद्य पदार्थ कय कर अपनी फर्म पर विकय का कार्य करता है। जिसमें अभियुक्त को जिस अवस्था में खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है , अभियुक्त उसी अवस्था में खाद्य पदार्थ का विकय करता है,साथ ही अभियुक्त ने रेफरल प्रयोगशाला की जांच हेतु

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

प्रेषित प्रारूप 8 की प्रति मय रजिस्टर्ड डाक की रसीद प्रस्तुत कर उक्त कार्यवाही ड्रॉप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली मे संलग्न मुख्य खाद्य विषलेषकं जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/2725/एक्ट/2023/2795 दिनांक 14.07.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Mustard Oil Substandard** प्रकृति का विक्रय व निर्माण करने का दोषी पाया गया है। उक्त प्रकरण गें अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रारूप 8 व रजिस्टर्ड डाक की रसीद का अवलोकन किया गया। अभियुक्त द्वारा प्रारूप 8 के साथ फर्म द्वारा प्रेषित पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की है, साथ ही उक्त प्रारूप 8 अभियुक्त को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त हुआ था। लेकिन अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड डाक की रसीद के अनुसार अभियुक्त ने उक्त प्रारूप 8 कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को प्रेषित न कर अभिहित अधिकारी फूड सेक्शन का प्रेषित किया गया है। यदि अभियुक्त उक्त जांच रिपोर्ट से सहमत नहीं था तो रेफरल प्रयोगशाला में जांच करने हेतु नियमानुसार निर्धारित समयावधि में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को आवेदन कर सकता था। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अतः आवेदक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्त को 20,000 (बीस हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी, आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक...21.08.2024 . को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी, जिला-

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी